न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 32/2018

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. माधोसिंह पुत्र श्री मानसिंह 2. छैलसिंह पुत्र मानसिंह 3. विजयसिंह पुत्र कल्याणसिंह 4. राजसिंह पुत्र श्री कल्याणसिंह 5. समन्दरसिंह पुत्र हरनाथसिंह 6. मनोहरसिंह पुत्र श्री हरनाथसिंह 7. भैरूसिंह पुत्र श्री कल्याणसिंह सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण– खुडाला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर		1. देवाराम पुत्र श्री मांगीलाल 2. बालाराम पुत्र श्री मांगीलाल 3. श्रवणराम पुत्र श्री मांगीलाल 4. झमकु पत्नी श्री मांगीलाल 5. गीता पुत्री श्री मांगीलाल 6. मुन्नी पुत्री श्री मांगीलाल सभी जातियान् पटेल, निवासीगण– खुडाला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लूणी, जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः–

1. श्री मोतीसिंह अधिवक्ता **प्रार्थीगण की ओर से**
2. श्री धनपत चौधरी, **अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या – 1 से 6**
3. राजकीय पैरोकार **अप्रार्थी संख्या – 7 की ओर से**

आदेश

दिनांक – 17-2-2020

प्रार्थीगण की ओर से **यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा** 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत इस आशय **का पेश किया कि उनकी** भूमि ग्राम सूरतानगर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर की सरहद **में खसरा नं. 52, 54, 55,** 56 व 57 में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण अलग – अलग खसरों **के खातेदार है। इन** सभी खसरान की भूमि के आगे सार्वजनिक रास्ता है जिसके **खसरा नम्बर 52/2, 54/1,** 55/1, 56/1 व 57/1 है जो राजस्व रेकर्ड में राजकीय भूमि **गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है** तथा खसरा नं. 52/1 में सभी भवन, मंदिर, जलाशय आदि का **निर्माण है जो राजकीय भूमि** के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थी का यह कथन है कि **सार्वजनिक रास्ते की भूमि** के पूर्वी दिशा में खुडाला से लूणवास जाने वाली रोड है एवं **खसरा नं. 57/1 व उक्त रोड** के मध्य अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा **नं. 59 मौजा सूरतानगर स्थित है** जिसमें कदीमी रास्ता वर्षो से चला आ रहा है। कदीमी रास्ते **के संबंध में प्रार्थना पत्र के** साथ एक नजरी नक्शा संलग्न है जिसमें इस रास्ते को ए,बी,सी,डी **मार्ग से दर्शाया गया है एवं** खसरा नं. 59 के माठ के सहारे स्थित है जिसमे से होकर प्रार्थीगण **अपनी खातेदारी भूमि में** काश्त करने हेतु जाते है एवं यही एकमात्र वैकल्पिक रास्ता है। **अप्रार्थीगण ने बिना किसी** कारण के भूमि खसरा नं. 59 के ए,बी,सी,डी भाग पर धोरा लगाकर **उस पर बबूल की झाडिया** डालकर व **तार खीचकर रास्ता** बंद कर दिया जिससे प्रार्थीगण अपनी **खातेदारी भूमि** में आने जाने **से अवरूद्ध हो गये** प्रार्थीगण को यह ए,बी,सी,डी मार्क का **रास्ता आत्यन्तिक** आवश्यकता है **इसलिए उक्त** ए,बी,सी,डी मार्क भाग को रास्ता दर्ज करते हुये खसरा नं. 59 में 15 **फुट चौडे व 280 फुट** लम्बा रास्ता नियमानुसार मुआवजा देकर प्रार्थीगण को दिलाया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, अप्रार्थी संख्या – 1 से 6 द्वारा जवाब पेश किया गया एवं जवाब में यह कथन किया कि प्रार्थीगण को पूर्व से ही खुडाला से बेवटा मार्ग पर रास्ता प्राप्त है एवं उसी रास्ते से प्रार्थीगण कदीमी से आ जा रहे है, प्रार्थीगण स्वयं की सुविधा के लिये खसरा नं. 54 से 57 में रास्ता

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी
(जोधपुर)

Scanned by CamScanner

हेतु भूमि समर्पित की है जिसमें से खसरा नं. 51 में से होते हुये प्रार्थीगण खुडाला से बेवटा जाने वाली सडक पर आ जा सकते है प्रार्थीगण ने खसरा नं. 59 से नये मार्ग की मांग की है जो विधि विरूद्ध है एवं धारा 251 ए के प्रावधानों के प्रतिकूल है। प्रार्थीगण खसरा नं. 58/1 में से भी रास्ते की मांग कर सकते थे जो खुडाला से लूणावास के रास्ते पर निकटम है प्रार्थीगण को खेत की माठ तोडकर रास्ता नहीं दिया जा सकता एवं न ही खसरा नं. 59 के लिये रास्ते की कोई आवश्यकता है ऐसी अवस्था में प्रार्थी द्वारा खसरा नं. 59 में से रास्ते की जो मांग की गई है वह प्रावधानों के प्रतिकूल है अप्रार्थीगण ने यह भी कथन किया है कि धारा 251 ए में केवल मात्र नया व सुगम रास्ते की ही मांग की जा सकती है। खसरा नं. 59 की भूमि में से कभी रास्ता नहीं था एवं उक्त भूमि में सार्वजनिक उपयोग हेतु कोई रास्ता नहीं है प्रार्थीगण खसरा नं. 51 में से आते जाते रहे है एवं यदि रास्ता दिया जा सकता है तो खसरा नं. 58/1 से ही निकटम व सुगम है प्रार्थीगण खसरा नं. 59 में से कभी भी आवाजाही नही कर रहे है एवं खरीफ की फसल के समय भी प्रार्थीगण खसरा नं. 51 में से होकर गुजरते है प्रार्थीगण द्वारा बताया गया रास्ता एकमात्र वैकल्पिक रास्ता नहीं है अप्रार्थीगण ने यह भी कथन किया है कि उन्होने रास्ता बंद नहीं किया है एवं प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर है इसलिए खारिज किये जाने योग्य है।

तहसीलदार लूणी द्वारा वादग्रस्त भूमि का मौका मुआवना कर तथ्यात्मक रिपोर्ट इस न्यायालय के समक्ष पेश की जिसके अनुसार प्रकट किया गया है कि खसरा नं. 52/2, 54/1, 55/1, 56/1 व 57/1 की भूमि पूर्व में प्रार्थीगण की थी एवं उन्होने रास्ते हेतु समर्पण किया वर्तमान में उक्त भूमि गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा खसरा नं. 52/1 में सार्वजनिक सभा भवन, मंदिर, जलाशय आदि का निर्माण किया हुआ है जो भी राजस्व रेकर्ड में राजकीय भूमि दर्ज है खसरा नं. 52, 54, 55, 56 व 57 की भूमि अलग–अलग प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है मौके पर खसरा नं. 52/2 से 57/1 तक रास्ता चालू है एवं राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज है परन्तु खसरा नं. 59 में तारबंदी कर तथ मौके पर बाड करके एवं एक छपरा बनाकर रास्ता अवरूद्ध किया है तहसीलदार द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने एवं खसरा नं. 52/1 सार्वजनिक सभा भवन व टांके तक आने जाने के लिये खसरा नं. 59 में से 15 गुणा 280 फुट रास्ता दिया जाना न्यायोचित है तथा और कोई अन्य रास्ता प्रार्थीगण की भूमि पर पहुंचने के लिये मौके पर नहीं है।

दौराने सुनवाई अप्रार्थीगण द्वारा एक आपत्ति प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 पेश किया गया जिसमें यह अंकित किया गया कि जो मौका रिपोर्ट बनाई गई है एवं रिपोर्ट मनमर्जी से व मौका देखे बिना बनाई गई है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर तहसीलदार लूणी से मौका रिपोर्ट का सत्यापन करने के लिये कहा गया एवं तहसीलदार लूणी के साथ मुझ पीठासीन अधिकारी स्वयं ने मौके पर जाकर रिपोर्ट की तस्दीक की जिसके अनुसार रिपोर्ट में वर्णित तथ्य न्यायोचित व यथेष्ठ है मौके पर अप्रार्थीगण ने तारबंदी व बाड कर रास्ता बंद कर रखा है जबकि वहां पर ग्राम पंचायत द्वारा ग्रेवल सडक बनाने के लिये मिटटी व मुरड डाला हुआ है इसलिए प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य सही प्रतीत नहीं होते है लिहाजा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

दौराने सुनवाई मैंने दोनो पक्षों द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का भी अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों से यह प्रकट होता है कि खसरा नं. 52 से 57 एवं 52/1 पर आने जाने के लिये प्रार्थीगण ने अपने खाते में से गैर मुमकिन रास्ते के लिये भूमि समर्पन किया जो खसरा नं. 52/2, 54/1, 56/1 व 57/1 दर्ज है परन्तु अप्रार्थीगण ने खसरा नं. 59 में से आने जाने के लिये रास्ता उपलब्ध नहीं करवाया जो कि खुडाला से लूणावास खारा जाने वाली डामर रोड पर खुलना चाहिए परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा खसरा नं. 59 पर धोरा, तारबंदी एवं कांटो की बाड लगाकर रास्ता बंद कर दिया है मौके पर डाले हुये मुरड एवं ग्रेवल मिटटी के आलामात भी मौजूद है अप्रार्थीगण ने

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी

Scanned by CamScanner

इस प्रकार से रास्ता देने से इंकार किया है जबकि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि पर लूणावास खारा से खुडाला जाने वाली रोड तक आने जाने के लिये खसरा नं. 59 ही एक मात्र विकल्प है जो प्रार्थीगण की भूमि को सडक से जोडता है एवं प्रार्थीगण ने आपसी सहमति से अपनी भूमि में से रास्ते के लिये भूमि समर्पण कर कटाण दर्ज करवा दिया है अब मात्र खसरा नं. 59 में रास्ता दर्ज किया जाना शेष है एवं अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता देने से इंकार करने के कारण यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार भी तहसीलदार लूणी द्वारा 15 फुट चौडा एवं 280 फुट लम्बा रास्ता खसरा नं. 59 मौजा सूरतानगर में से दिये जाने का तथ्य प्रकट हुआ है एवं प्रार्थीगण के लिये बताई गंई आवश्यकता उनकी आत्यन्तिक आवश्यकता है व अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है तद्नुसार प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को आदेश दिया जाता है कि खसरा नं. 59 मौजा सूरतानगर में से प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने एवं खसरा नं. 52/2, 54/1, 55/1, 56/1 व 57/1 में दर्ज गैर मुमकिन रास्ते को लूणावास खारा से खुडाला जाने वाली डामर सडक से जोडने के लिये 15 फिट चौडा एवं 280 फुट लम्बा रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार लूणी विधिवत रूप से बाद पैमाईश राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करे एवं रास्ते के लिये दर्ज भूमि का डी.एल.सी. रेट से दुगनी राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर अप्रार्थीगण को बतौर प्रतिकर दी जावें।

उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

(गोपाल परिहार, आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी
(जोधपुर)

यह आदेश आज दिनांक 17/2/2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल परिहार, आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी
(जोधपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Parihar
Date: 2020.02.24 15:13:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: